

नवभारत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए निर्णय

5 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा संपूर्ण लाभ

भोपाल, 4 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, खेल अधोसंरचना और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने वाले कई अहम फैसले लिए गए.

बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण से जुड़े कुल 32 हजार 70 करोड़ रुपये की योजनाओं एवं प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को स्वीकृति दी गई, जिससे करीब 5 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. यह योजना उन किसानों के लिए है.

योजना के तहत ऐसे किसानों को दोबारा मुख्यधारा में लाकर नए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. प्रभावित किसानों की सहायता के लिए अपेक्ष बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा 50 करोड़ रुपये तक की निधि बनाई जाएगी, जबकि राज्य सरकार किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूजी सहायता उपलब्ध कराएगी. मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी बड़ी राशि



32,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव किए पारित	50,000 करोड़ की किसान निधि की जाएगी निर्मित	2,460 करोड़ युवा एवं खेल अधोसंरचना के लिए मंजूर	1,999 करोड़ मंजूर डिजिटल सेवाओं को गति देने के लिए
--	---	---	--

स्वीकृत की है. जिला एवं सिविल अस्पतालों तथा औषधालयों के संचालन के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक 12 हजार 517.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

किसको क्या मिला ...

बैठक में मलेरिया सहित अन्य वैक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए 1 हजार 704.81 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत रोग नियंत्रण, कीटनाशक व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा. युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल अधोसंरचना विस्तार योजना को भी स्वीकृति मिली है. प्रदेश में स्टेडियम और खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 हजार 460 करोड़ 57 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे जिला मुख्यालयों और विकासखंड स्तर पर खेल सुविधाओं का विस्तार होगा तथा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारियों में मदद मिलेगी.डिजिटल सेवाओं को गति देने के लिए स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 1 हजार 99 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई. इससे सरकारी विभागों की ऑनलाइन सेवाएं अधिक सुरक्षित और प्रभावी होंगी.

एक नजर में भस्मारती के प्रभारी व सहायक को हटाया

उज्जैन. श्रावण के पहले सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं की भस्मारती में भीड़ के चलते उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह महाकात मंदिर में अचानक अल सुबह ही निरीक्षण करने पहुंच गए थे. उन्हें वहां काफी गड़बड़ियां मिली थी. मंगलवार को कार्रवाई सामने आई जब मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने आदेश जारी कर भस्मारती के प्रभारी व सहायक को हटा दिया. कलेक्टर सिंह प्रशासन व मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ भस्मारती के प्रवेश द्वार पर पहुंचे थे. जब उन्होंने यहां तैनात समिति के कर्मचारियों से जानकारी ली तो वे संतुष्ट जनक जवाब नहीं दे पाए थे.

5 हजार की रिश्वत लेते रोजगार सहायक गिरफ्तार

ग्वालियर. ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अंतिम किश्त जारी करने के पवज में रिश्वत लेते एक ग्राम रोजगार सहायक को रोगे हाथ गिरफ्तार किया है. ईओडब्ल्यू के अनुसार डबरा तहसील के ग्राम सागरपुरा बाबूपुर निवासी अजय कुशवाह ने शराने के लिए ग्राम निवासी के ग्राम रोजगार सहायक सोनू शर्मा आठ हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है.

खून से लथपथ शव मिला

ग्वालियर. विश्वविद्यालय थाणा क्षेत्र के सिंधिया नगर में मंगलवार सुबह 25 वर्षीय युवक का शव मंदिर के बाहर खून से लथपथ हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

मृतक के हाथ पर गहरा घाव था और घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में खून फैला मिला. सूचना मिलते ही थाणा पुलिस, एफएसएल टीम और बरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

नव भारत न्यूज इंदौर, 4 अगस्त. मारपीट के एक मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना युवक को सीधे जेल भेजना इंदौर पुलिस को भारी पड़ गया. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई और अपने रिहाई आदेश के पालन में हुई देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए खजराना एसीपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया . वहीं पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा है.

मामला खजराना थाणा क्षेत्र का है, जहां पड़ोसी से विवाद के बाद पुलिस ने तबरेज नामक युवक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया था. जबकि नियमानुसार आरोपी को पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के समक्ष पेश

ग्राम पंचायत सचिव को किया निलंबित

शाजापुर. कलेक्टर सुश्री ऋषु बाफना ने समयसीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ मनीषा वास्करले को ग्राम पंचायत घटियाखुर्द सचिव बद्रीलाल कराड़ा को निलंबित करने के निर्देश दिए थे. सीईओ ने कलेक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए सचिव बद्रीलाल कराड़ा को मंत्र पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

रिटायर्ड आईपीएस सिकरवार से वसूली पर कैट की रोक

जबलपुर. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट से रिटायर्ड आईपीएस डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार को बड़ी राहत मिली है। कैट ने उनके विरुद्ध निकाली गई वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार सहित एसपी रीवा से जवाब तलब किया है। यह मामला रिटायर्ड आईपीएस डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार की ओर से दायर किया गया था। अधिकता पंकज दुबे, सुश्री सोनली पांडे एवं प्रथमेश पाण्डे पक्ष रखा. आईपीएस डॉ महेन्द्र सिंह सिकरवार 2024 में आईजी रीवा के पद से सेवानिवृत्त हुए उनके विरुद्ध अप्रैल 2026 में पुलिस अधीक्षक रीवा के द्वारा 11,61,885 रुपए की वसूली निकाली गई.

दहेज से प्रताड़ित नवविवाहिता ने की आत्महत्या

नवभारत न्यूज ग्वालियर, 4 अगस्त. शहर के महाराजपुरा थाणा क्षेत्र में दहेज की लालसा ने एक और हंसेते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. ससुराल पक्ष की ओर से लगातार मिलने वाली मानसिक और आकर एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए मृतका के इंजीनियर पति और अन्य ससुरालजनों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार, महाराजपुरा इलाके में कुछ समय पूर्व एक नवविवाहिता

सागर में बुजुर्ग ससुर ने ही बहू की चाकू मारकर की हत्या

सागर, 4 अगस्त. मध्यप्रदेश में सागर जिले के मकरोनिया थाणा क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक बुजुर्ग ससुर द्वारा अपनी बहू की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार मकरोनिया थाणा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-07 स्थित गायत्री नगर निवासी सविता उर्फ शिवानी दीक्षित (42) अपने दो बच्चों के साथ रहती थीं. उनके

पति देवेश दीक्षित बीएसएफ में पश्चिम बंगाल में पदस्थ हैं. मंगलवार सुबह एक बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सविता का उनके 70 वर्षीय ससुर रामनरेश दीक्षित से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित रूप से चाकू से बहू पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय भेज दिया. पुलिस ने आरोपी ससुर को अभिरक्षा में लेकर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रीवा-कोलकाता और रीवा-भोपाल विमान सेवा 9 से

- उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने केंद्रीय मंत्री नायडू से की मुलाकात
- विध्य क्षेत्र को मिलेगा हवाई कनेक्टिविटी का लाभ

भोपाल, 4 अगस्त. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से सौजन्य भेंट की.

उन्होंने 9 अगस्त से शुरू होने जा रही रीवा-कोलकाता एवं रीवा-भोपाल (72 सीटर) विमान सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया. उप मुख्यमंत्री



शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में हवाई संपर्क का लगातार विस्तार हो

रहा है. रीवा से शुरू होने वाली नई विमान सेवाओं से विश्व क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं को नई गति मिलेगी.

महिला के शव पर चींटियां मिलने से अस्पताल में किया हंगामा

बड़वानी, 04 अगस्त. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम से पहले एक महिला के शव पर चींटियां रंगती मिलने की घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. घटना के बाद संबंधित कर्मचारी को हटा दिया गया तथा मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

सड़क दुर्घटना में घायल 58 वर्षीय राधाबाई, निवासी नवलपुरा, को रविवार शाम जिला अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम सोमवार सुबह होना था,

इसलिए शव को रातभर अस्पताल में रखा गया. आरोप है कि शव को मॉर्च्युरी (शवगृह) में रखने के बजाय पोस्टमार्टम कक्ष में रखा गया. सोमवार सुबह पोस्टमार्टम से पहले जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने शव के कई हिस्सों पर चींटियां रंगती देखीं. नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया. बड़वानी विधायक के प्रतिनिधि विष्णु बनर्जी भी अस्पताल पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखे जाने पर आपत्ति जताते हुए जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की.



सूना मिला पीडब्ल्यूडी देवसर का दफ्तर

देवसर. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग देवसर कार्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवाल के घेरे में है. सोमवार के दिन सरकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय परिसर सूना मिला. कई कक्षों में न तो अधिकारी मौजूद थे और न ही कर्मचारी. दूर-दराज से अपनी शिकायत और कार्य लेकर पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा. इससे विभागीय कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

मैकेनिक को उपयंत्री बनाने पर पीएचई विभाग जांच के घेरे में

नवभारत न्यूज सिंगरौली, 4 अगस्त. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एक बार फिर गंभीर विवादों में घिरता नजर आ रहा है.

एनटीपीसी विध्यनगर कॉलोनी में शासकीय आवास आवंटन से जुड़े मामले में विभाग के कार्यपालन यंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर कार्यालय को भेजी गई जानकारी में वास्तविक पदनाम के विपरीत मैकेनिक जेएल पनिका को उपयंत्री दर्शाकर आवास आवंटित करा दिया. अब यह मामला प्रशासनिक अनियमितता से आगे ब ?कर दस्तावेजों में कथित गलत

जानकारी देने के आरोपों तक पहुंच गया है. कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी पत्र में जेएल पनिका का पद उपयंत्री, पीएचई विभाग अंकित है, जबकि विभागीय सूत्रों के अनुसार उनका वास्तविक पद मैकेनिक बताया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि मूल अभिलेखों में उनका पद मैकेनिक है तो कलेक्टर कार्यालय तक उपयंत्री के रूप में जानकारी किस आधार पर भेजी गई. जानकारी का कहना है कि यदि किसी शासकीय लाभ के लिए जानबूझकर गलत पदनाम प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी विधिक जांच आवश्यक

है.बताया जा रहा है कि जेएल पनिका को मूल पदस्थापना देवसर में मैकेनिक के रूप में है, लेकिन कई वर्षों से उन्हें जिला मुख्यालय स्थित पीएचई कार्यालय में संबद्ध कर रखा गया है. इतना ही नहीं, उन्हें विभाग की कई शाखाओं का प्रभारी भी सौंपा गया है. इसे लेकर भी विभाग के भीतर लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं. कलेक्टर ने पिछले माह 22 जुलाई को पीएचई ईई को पत्र जारी कर एनटीपीसी कॉलोनी विध्यनगर में विभागीय अमले को आवंटित आवासों के संबंध में पत्र भेजा है. कलेक्टर के द्वारा जारी पत्र के अनुसार जेएल

इनका कहना ..

जेएल पनिका टेविनशियन हैं. ऑफिस में रहने वालो को हम अपने हिसाब से प्रभार सीपते हैं. इनकी पदस्थापना यही है.

टीएस बरकड़े कार्यपालन यंत्री, पीएचई, सिंगरौली

पनिका को 17,865 रुपये की बकाया राशि जमा कराने तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर के पत्र में जेएल पनिका को उपयंत्री पीएचई डिपार्टमेंट पर रखा गया है.

आरोप-प्रत्यारोप नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त किया गया नामांकन

मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर नोटिस जारी

जबलपुर, 4 अगस्त. मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी के रूप में दायर किया गया नामांकन निरस्त किये जाने के खिलाफ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने हाईकोर्ट में चुनाव दायर दायर की थी.

हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने चुनाव याचिका को नुनवाई करते हुए अनावेदको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितम्बर को निर्धारित की गयी है। कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर की गयी चुनाव याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना की एक अदालत में महिला द्वारा दायर



रिटनिंग ऑफिसर के द्वारा उनका नामांकन नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त किया गया है. जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. याचिका में मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुप, रजनीश कुमार अग्रवाल, महेश केवट, केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटनिंग अधिकारी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधान सभा तथा मुख्य निवाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग को अनावेदक बनाया गया है. याचिकाकर्ता की तरफ से बरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व आर्यन गुप्ता ने पेश्वी की .



व्यक्तिगत परिवाद में उन्हें प्रतिवादी बनाया था। प्रतिवादी बनाये जाने के कारण न्यायालय ने उनका पक्ष के लिए नोटिस जारी किया था। उनके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज या विचाराधीन था। उनके नामांकन पर आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर रिटनिंग ऑफिसर ने नियमों को दरकिनार करते हुए जल्दबाजी में न्यायालय में लंबित प्रकरण की जानकारी हटाने के आधार पर उनका नामांकन निरस्त कर दिया। उन्होंने सुनवाई के दौरान रिटनिंग अधिकारी को बताया था कि परिवार में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, सिर्फ औपचारिक तौर पर उन्हें अनावेदक बनाया गया है।